



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 भाद्र 1940 (श10)

(सं0 पटना 869) पटना, वृहस्पतिवार, 20 सितम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर 2018

अधिसूचना संख्या 23/2018-राज्य कर (दर)

एस0ओ0 244, दिनांक 20 सितम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर तथा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में संख्या 555 दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा उक्त अधिसूचना में, सारणी में क्रम संख्या 41 के समक्ष, कॉलम (3) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करते हैं, यथा:-

“स्पष्टीकरण – इस छूट के उद्देश्य के लिए, ऐसे निकाय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का सीधे तौर पर या ऐसे किसी निकाय के माध्यम से जो कि पूर्णतया केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व में आता हो, 50% या इससे अधिक का स्वामित्व अवश्य होना चाहिए।”

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3) 23)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 सितम्बर 2018

एस० ओ० 244, दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-3)23)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th September 2018**Notification No. 23/2018-State tax (Rate)**

S.O. 244, Dated 20th September 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the notification of the Commercial Taxes Department No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, *vide* number 555, dated the 29th June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 41, in column (3), namely:-

“Explanation.-For the purpose of this exemption, the Central Government, State Government or Union territory shall have 50 per cent. or more ownership in the entity directly or through an entity which is wholly owned by the Central Government, State Government or Union territory.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-3) 23)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 869-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>